संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क्रमांक / अ.प्रशा. / एफ–323 / सेल–6 / 2020 /   भोपाल, दिनांक   /   /2020

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म0प्र0।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0।

विषयः–बंदी बन्शीलाल पिता विश्राम की मृत्यु–म0प्र0मानव अधिकार आयोग प्र.क्र.3077 / बडवानी 2017 के सबंध में।

संदर्भः–1. आयोग शाखा का पत्र क्र / 4 / आयोग / एफ–394 / 2020 / 711 दि. 29 / 08 / 2020
2.संचालनालय का पत्र क्र. / अ.प्रशा. / सेल–6 / एफ–275 / 2019 / 252 दि.21 / 02 / 2019

—00—

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि :–

आपके जिले की समस्त जेलों में बंदियों के जेल प्रविष्टी के समय व सके पश्चात् क्षयरोग (TB), HIV/AIDS, हेपेटाईटिस–बी, हद्‌यघात, एनीमिया, मधुमेह व अन्य बीमारियों के लिये संबंधित जेल के जेल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर नियमित चिकित्सकीय परीक्षण / चेकअप करवाना सुनिश्चित करें।

संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं द्वारा अनुमोदित।

संलग्नः–प्रकरण में आयोग द्वारा की गई अनुशंसा।

(डॉ.उपेन्द्र दुबे)
संयुक्त संचालक,(अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म0प्र0

पृ. क्रमांक / अ.प्रशा. / एफ–323 / सेल–6 / 2020 / 1071   भोपाल, दिनांक 28/ 09 / 2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, जेल विभाग, मध्यप्रदेश।
2. सचिव म0प्र0 मानव, अधिकार आयोग, पर्यावास भवन अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
4. जेल महानिर्देशक, जेल मुख्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
6. उप संचालक, आयोग शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर शाखा के संदर्भित पत्र के संबंध में।
7. एम.आई.एस. कक्ष, स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त संचालक,(अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म0प्र0।

F:\HA DHS 2020\Cell-6

को [illegible] सकता है। अतः आयोग उपरोक्त विवेचन तथा स्थितियो के आधार पर, मानव अधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुशंसायें राज्य शासन को करता है:—

(1) जेल मुख्यालय, भोपाल अपने आदेश कमांक—10/वारण्ट—3/ब.मृ./2015, भोपाल, दिनांक 25.02.2017 का एवं संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल अपने आदेश कमांक—अ.प्र./सेल—6/एफ—275/2019/252, भोपाल दिनांक 21.02.2019 का गम्भीरता से तथा अक्षरशः पालन सुनिश्चित करे, जिससे बंदियों का जेल प्रवेश के पश्चात शीघ्र ही क्षयरोग (टी.बी.) एच.आई.व्ही/एड्स, हेपेटाईटिस—बी, हृदयाघात, एनीमिया, मधुमेह टेस्ट के लिये नियमित चिकित्सकीय परीक्षण/चेकप हो सके। इस निर्देश के सकारात्मक कियान्वयन हेतु वरिष्ठ जेल अधिकारी जेलों के पर्यवेक्षण के दौरान, नियमित चिकित्सकीय परीक्षण/चेकप की स्थिति का निरीक्षण भी उक्त निर्देश के पालन में सुनिश्चित करें।

(2) जेल विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को बंदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारों की जानकारियां, विशेषकर बीमार, मनोरोग से ग्रसित तथा शारीरिक रूप से कमजोर बंदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की निगरानी तथा देखभाल के विषयों पर, लगातार प्रशिक्षण राज्य शासन द्वारा आयोजित करवाया जाये।

(3) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग, भोपाल; प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल एवं जेल महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल राज्य की जेलों में नियमित चिकित्सकीय परीक्षण/चेकप अर्थात बंदी की जेल प्रवृष्टि के समय और उसके पश्चात क्षयरोग (टी.बी.) एच.आई.व्ही/एड्स, हेपेटाईटिस—बी, हृदयाघात, एनीमिया, मधुमेह

स्वास्थ्य विभाग

स्वा.विभाग

जेल विभाग

व अन्य बीमारियों के लिये नियमित चिकित्सकीय परीक्षण/चेकप करवाने के दायित्व की जिन जेलों में कमी पाई जा रही है, वहां पर नियमित चिकित्सकीय परीक्षण/चेकप करवाना सुनिश्चित करें।

11. उपरोक्त अनुशंसा, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल; प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग, भोपाल; प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल तथा जेल महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल को आदेश की प्रति सहित भेजी जावे। मानव अधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ई) के अनुसार वे इस संबंध में यदि चाहें तो एक माह की अवधि के भीतर इस आयोग को अपनी टीका टिप्पणी प्रेषित कर सकते हैं।

12. अनुशंसाओं की एक प्रति उप संचालक, जनसम्पर्क को भी मासिक पत्रिका एवं समाचार-पत्रों के प्रकाशन हेतु उपलब्ध करवाई जाये। सामयिक चिकित्सा संबंधित

(जस्टिस नरेन्द्र कुमार जैन)
अध्यक्ष
14.02.2020

(सरबजीत सिंह)
सदस्य
14.02.2020